- कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान के लिए हाथ की कोई भी अँगुली या अँगूठा इस्तेमाल कर सकता है।
- बायोमैट्रिक 3 बार असफल होने पर वन टाईम पासवर्ड (ओ.टी.पी. यानि एक गोपनीय नम्बर) रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भेजा जाता है। इस ओ.टी.पी. को मशीन में दर्ज करके भी राशन लिया जा सकता है।

समस्याः हमारे क्षेत्र में राशन डीलर द्वारा पॉस मशीन से राशन नहीं दिया जाता है।

समाधानः उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में इस बारे में बताएं, 5 दिनों में इस पर कार्यवाही की जाएगी।

समस्याः राशन डीलर की मशीन में कनेक्टिविटी की समस्या है।

समाधानः पॉस मशीन को कनेक्टिविटी सिम कार्ड से मिलती है। राशन डीलर को उस मोबाइल नेटवर्क की सिम काम में लेनी चाहिए जिसका नेटवर्क उस क्षेत्र में बेहतर हो। यदि किसी भी कंपनी का नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता है तो मशीन को विभाग द्वारा दिये गये एंटीना से भी जोड़ा जा सकता है।

अब आप खाते में सरकारी लाभ के रुपये पाने, रुपये निकलवाने व पॉस मशीन से राशन लेने में होने वाली संभावित समस्याओं के समाधान जान चुके हैं। इस जानकारी को काम में लेकर सुविधापूर्वक अपनी राशि/राशन प्राप्त करें तथा अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दें।

ये भी समझें

एटीएम मशीन

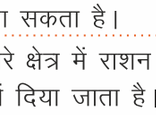

बैंकों द्वारा लगाई मशीन जिसे आप खुद काम में लेकर संचालित कर पैसे निकाल सकते हैं और अन्य लेन–देन कर सकते हैं।

माइक्रो एटीएम मशीन

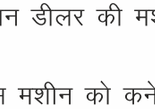

ई–मित्र या बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेन्ट के पास लगी बैंक की मशीन जिससे रुपे कार्ड या बायोमैट्रिक से लाभार्थी की पहचान होती है और लेन–देन सम्भव होता है।

पॉस मशीन

यह मशीन राशन की दुकानों पर लगी है जिस पर अंगूठा या अंगुली लगाने से परिवार की पहचान होती है। इस मशीन से परिवार को देय राशन और लेन–देन का हिसाब भी रखा जाता है।

बायोमैट्रिक पहचान

मशीन पर अंगूठा या अंगुली लगाने पर आधार के माध्यम से परिवार की पहचान।

रुपे कार्ड

रुपे कार्ड एक तरह का एटीएम कार्ड है जिसका एक गोपनीय पिन होता है, इसे ए.टी.एम. व माइक्रो एटीएम मशीन पर इस्तेमाल कर अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं।

गोपनीय पिन

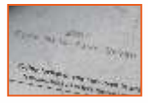

यह चार अंकों का एक नम्बर होता है जो हर रुपे कार्ड के लिए अलग होता है। मशीन से पैसे निकालते समय इसे दर्ज किया जाता है। यह नम्बर कभी किसी और को न बताएं।

ओ.टी.पी.

ओ.टी.पी. 'वन टाइम पासवर्ड' है। जब आपकी बायोमैट्रिक पहचान किसी कारण से तीन बार असफल होती है तो यह रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर मिलता है। इससे इस्तेमाल कर एक बार राशन ले सकते हैं। हर बार बायोमैट्रिक असफल होने पर एक नया ओ.टी.पी. मिलता है।

आयोजना विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर
अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर **1800 180 6127** पर कॉल करें
bhamashah.rajasthan.gov.in

जुलाई 2016

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

भामाशाह योजना

जानें, समझें, अपना हक़ पाएं

भामाशाह सुविधा कैम्प

श्रीमती वसुन्धरा राजे
माननीया मुख्यमंत्री

मैंने मुख्यमंत्री बनते समय सरकारी योजनाओं के सभी लाभ आम जन तक सीधे पहुंचाने का वादा किया था। उस वादे को हमने भामाशाह योजना से पूरा किया है। आज प्रदेश में 1 करोड़ 24 लाख से ज़्यादा परिवारों के 4 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों का भामाशाह नामांकन हो चुका है।

अब तक 1 करोड़ 30 लाख रुपे कार्ड जारी किये गये हैं जिनमें से 85 प्रतिशत कार्ड वितरित किये जा चुके हैं और 55 प्रतिशत कार्ड एक्टिवेट भी किये जा चुके हैं। पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति की राशि लोगों को सीधा खाते में मिल रही है। विभिन्न योजनाओं के 3100 करोड़ रुपये से ज़्यादा सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किये जा चुके हैं। इस रुपये को निकालने के लिए राज्य सरकार ने 23,500 से अधिक सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स बनाये हैं, जिन पर लाभार्थियों द्वारा अपने खातों से 2300 करोड़ से ज़्यादा रुपये निकाले जा चुके हैं।

प्रदेश में राशन वितरण भी अब PoS (पॉस) मशीनों से हो रहा है। 25,000 से अधिक राशन की दुकानों पर PoS (पॉस) मशीनें काम कर रही हैं और अब तक 3 करोड़ 60 लाख से अधिक बार बायोमैट्रिक आधारित राशन वितरण किया जा चुका है।

सभी सरकारी लाभ आप तक सीधा पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

आइये समझें अपने खाते में रुपये पाने, रुपये निकलवाने या राशन पाने में होने वाली संभावित समस्याएं व उनके समाधान...

नकद सरकारी लाभ सीधा खाते में प्राप्त करना और अपने खाते से रुपये निकालना

समस्या: मेरी पेंशन या अन्य सरकारी लाभ स्वीकृत हैं पर मेरे खाते में नहीं आ रहे हैं।

समाधान: हो सकता है कि आपकी सरकारी योजना की पात्रता संख्या जुड़ी हुई न हो, ऐसे में अपना पेंशन नम्बर, नरेगा जॉब कार्ड नम्बर, छात्रवृत्ति नम्बर भामाशाह से जुड़वाएं। यदि पहले आपकी पेंशन आ रही थी और अब नहीं आ रही तो हो सकता है किसी कारण से पेंशन निरस्त हो। इसका अन्य कोई कारण भी हो सकता है। ऐसे में अपनी पात्रता के दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में पेश करें।

समस्या: मेरी पेंशन गलत खाते में जा रही है।

समाधान: अपना सही बैंक खाता संख्या भामाशाह से जुड़वाएं।

समस्या: मेरा अभी तक कोई बैंक खाता नहीं है, पेंशन या अन्य लाभ सीधा कैसे प्राप्त करूं?

समाधान: अपना बैंक खाता खुलवाएं और बैंक खाता संख्या को ई–मित्र पर भामाशाह से जुड़वाएं।

समस्या: माइक्रो एटीएम से रुपये निकालने में समस्या है।

समाधान: माइक्रो एटीएम से रुपये निकालने के लिए आपके पास रुपे कार्ड व उसका गोपनीय पिन होना चाहिए। आप बैंक शाखा जा कर अपना रुपे कार्ड व उसका गोपनीय पिन लें। रुपे कार्ड जारी होने के 90 दिनों के अंदर इसे एटीएम पर गोपनीय पिन का इस्तेमाल कर एक्टिवेट करें। रुपे कार्ड एक्टिवेट होने के बाद आप ई–मित्र या बैंकिंग कॉरस्पोन्डेन्ट (बी.सी.) के पास जाकर राशि निकलवा सकते हैं।

समस्या: योजना के रुपये खाते में आने पर और रुपये निकलवाने पर मेरे मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आता है।

समाधान: अपना सही मोबाइल नम्बर भामाशाह से जुड़वाएं।

समस्या: ई–मित्र या बी.सी. की माइक्रो एटीएम की कनेक्टिविटी में समस्या है।

समाधान: माइक्रो एटीएम मशीन का कनेक्शन भी मोबाइल की सिम से ही होता है। ई–मित्र या बी.सी. को उस मोबाइल नेटवर्क की सिम लेनी चाहिए जिसका नेटवर्क उस क्षेत्र में बेहतर हो।

समस्या: हमारी पंचायत में ई–मित्र संचालक को खाते से रुपये निकालकर देने की प्रक्रिया ठीक तरह से मालूम नहीं है।

समाधान: इसकी जानकारी ब्लॉक अटल सेवा केन्द्र पर दें। ब्लॉक में मौजूद सूचना–सहायकों की टीम उन्हें ट्रेनिंग देगी।

समस्या: ई–मित्र संचालक के पास इतनी राशि नहीं रहती है कि वह क्षेत्र के सभी लाभार्थियों को रुपये निकालकर दे सके।

समाधान: ई–मित्र संचालक या बी.सी. को अपने क्षेत्र के पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति आदि के लाभार्थियों की संख्या के अनुसार राशि रखनी होती है। ई–मित्र संचालक को खुद के पास से दी गई राशि 48 घंटे में बैंक खाते में वापस मिल जाती है। फिर भी यदि कोई ई–मित्र संचालक ऐसा करने में असमर्थ है तो वह भारत सरकार की मुद्रा लोन स्कीम में बैंक से लोन ले सकता है।

समस्या: हमारे क्षेत्र में कोई ई–मित्र या बैंकिंग कॉरस्पोन्डेन्ट नहीं हैं, तो रुपये कैसे निकलवाएं?

समाधान: उपखण्ड अधिकारी को इस बारे में बताएं। 7 दिनों के अंदर इस पर कार्यवाही की जाएगी और बैंकिंग कॉरस्पोन्डेन्ट नियुक्त किया जाएगा।

पॉस (PoS) मशीन से राशन प्राप्त करने में संभावित समस्याएं व उनका समाधान...

समस्या: जब हम राशन लेने जाते हैं तो बताया जाता है कि आपका नाम राशन सूची में नहीं है।

समाधान: अटल सेवा केन्द्र/नगर निकाय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की राशन सूची उपलब्ध है, इसमें अपना नाम देखें।

- यदि आपका नाम सूची में है तो हो सकता में भामाशाह में इसकी जानकारी जुड़ी हुई नहीं हो। ऐसे में भामाशाह में NFSA में "Yes" करवाएं।
- यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में NFSA में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें, जांच के बाद 10 दिनों में इसका समाधान कर दिया जाएगा।

समस्या: राशन लेते समय हमारी बायोमैट्रिक पहचान सफल नहीं होती है।

समाधान: यदि ऐसा है, तो ध्यान दें–

- मशीन पर अंगूठा या अंगुली लगाते समय मशीन का कांच और आपका अंगूठा या अंगुली दोनों साफ हों।
- मशीन पर अंगूठा या अंगुली लगाने के बाद लाल लाइट जलने तक इसे दबाकर रखें।
- परिवार के किसी एक सदस्य की बायोमैट्रिक पहचान में समस्या होने पर परिवार में से कोई भी अन्य सदस्य (जिसका आधार नम्बर भामाशाह कार्ड में है) मशीन पर अँगूठा लगाकर राशन ले सकता है।